**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1194

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी**

1194. श्री इलामारम करीमः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में दसवीं कक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है;

(ख) किन-किन राज्यों में बीच में पढ़ाई छोड़ने का प्रतिशत सर्वाधिक है;

(ग) बीच में पढ़ाई छोड़ने के प्रतिशत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना-कितना रहा?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क): अद्यतन एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाइज) डाटा के अनुसार, देश में 10वीं पास छात्रों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रवार प्रतिशत **संलग्‍नक-।** में दिया गया है।

(ख) से (घ): यू-डाइज डाटाबेस के अनुसार, वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान माध्‍यमिक स्‍तर पर ड्रॉपआउट का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रवार विवरण **संलग्‍नक-II** पर है।

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा हेतु वर्ष 2018-19 से देशभर में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में समग्र शिक्षा-एक एकीकृत योजना की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम में तीन पूर्व केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को मिलाया गया है। यह कार्यक्रम स्‍कूल शिक्षा क्षेत्र अर्थात प्री स्‍कूल से कक्षा XII तक है, इसका उद्देश्‍य स्‍कूल शिक्षा के सभी स्‍तरों पर समावेशी और समान गुणवत्‍तायुक्‍त शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें ‘स्‍कूल’ की पूर्व स्‍कूल, प्राथमिक, अपर प्राथमिक, माध्‍यमिक से उच्‍चतर माध्‍यमिक स्‍तरों तक एक सतत शिक्षा के रूप में परिकल्‍पना की गई है।

योजना का मुख्‍य उद्देश्‍य विभिन्‍न हस्‍तक्षेपों जैसे स्‍कूल न जाने वाले बच्‍चों का सर्वेक्षण और पहचान, प्रारंभिक स्‍तर पर स्‍कूल न जाने वाले बच्‍चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार नि:शुल्‍क पाठ्यपुस्‍तकों और नि:शुल्‍क यूनिफार्म का प्रावधान, कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का कक्षा 6-8 से कक्षा 12 तक उन्‍नयन, नए/अपग्रेड किए गए उच्‍च प्राथमिक, माध्‍यमिक और वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍कूल उपलब्ध कराकर शिक्षा के विभिन्‍न स्‍तरों के प्रति पहुंच में वृद्धि करना, मौजूदा स्‍कूलों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना, जनजातीय मरूस्‍थल या पर्वतीय जिलों की छित्री आबादी वाले जिलों, जहां पूर्ण सुसज्जित स्‍कूलों की स्‍थापना व्‍यवहार्य नहीं है, में आवासीय स्‍कूलों और छात्रावासों का प्रावधान करना, माध्‍यमिक स्‍तर पर व्‍यावसायिक शिक्षा की शुरूआत, कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को आत्‍मरक्षा प्रशिक्षण, छात्राओं के लिए अलग शौचालय, लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम, कक्षा I से XII तक विशेष आवश्‍यकता वाली बालिकाओं के लिए वजीफा, स्‍कूलों में छात्र अंतरण/उन्‍हें बनाए रखने संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए नामांकन और रिटेंशन अभियान को सहायता प्रदान करते हुए स्‍कूली शिक्षा पूरी करने तक बच्‍चों को स्‍कूल में बनाए रखे जाने को सुनिश्चित करना है।

**\*\*\*\*\***

**संलग्‍नक-I**

**‘बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री इलामारम करीम द्वारा दिनांक 20.12.2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1194 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्लिखित संलग्‍नक**

**वर्ष 2015-16 के दौरान 10वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रवार प्रतिशत**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य का नाम** | **उत्‍तीर्ण % (कक्षा X)** |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 96.86 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | **#** |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 97.16 |
| 4 | असम | 64.15 |
| 5 | बिहार | 49.91 |
| 6 | चंडीगढ़ | 99.10 |
| 7 | छत्तीसगढ | 58.90 |
| 8 | दादर और नगर हवेली | 49.42 |
| 9 | दमन और दीव | 62.42 |
| 10 | दिल्ली | 93.34 |
| 11 | गोवा | 98.10 |
| 12 | गुजरात | 68.65 |
| 13 | हरियाणा | 65.66 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 74.72 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 75.08 |
| 16 | झारखंड | 98.85 |
| 17 | कर्नाटक | 86.61 |
| 18 | केरल | 96.84 |
| 19 | लक्षद्वीप | 85.40 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 66.75 |
| 21 | महाराष्ट्र | 90.11 |
| 22 | मणिपुर | 99.17 |
| 23 | मेघालय | 99.17 |
| 24 | मिजोरम | 98.77 |
| 25 | नगालैंड | 96.39 |
| 26 | ओडिशा | 85.22 |
| 27 | पुडुचेरी | 96.81 |
| 28 | पंजाब | 87.44 |
| 29 | राजस्थान | 79.47 |
| 30 | सिक्किम | **#** |
| 31 | तमिलनाडू | 93.87 |
| 32 | तेलंगाना | 89.56 |
| 33 | त्रिपुरा | 68.83 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 85.05 |
| 35 | उत्तराखंड | 78.69 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 93.15 |

स्रोत:: यूडाइज-नवीन आंकड़ें

# राज्य द्वारा आंकड़ें प्रस्‍तुत नहीं किए गए हैं।

**संलग्‍नक-II**

**‘बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री इलामारम करीम द्वारा दिनांक 20.12.2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1194 के भाग (ख) से (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित संलग्‍नक**

**वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़ने की वार्षिक औसत**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य का नाम** | **पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर (माध्‍यमिक)** | | |
| **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 7.20 | 9.87 | 7.36 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 12.65 | 15.71 | **#** |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 14.49 | 17.11 | 29.93 |
| 4 | असम | 30.43 | 27.06 | 27.60 |
| 5 | बिहार | 25.33 | 25.90 | 39.73 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ | 23.41 | 21.26 | 24.23 |
| 8 | दादर और नगर हवेली | 28.59 | 16.77 | 27.96 |
| 9 | दमन और दीव | 19.86 | 32.27 | 19.52 |
| 10 | दिल्ली | 8.90 | 11.81 | 10.75 |
| 11 | गोवा | 9.58 | 11.15 | 16.01 |
| 12 | गुजरात | 21.61 | 25.04 | 24.08 |
| 13 | हरियाणा | 12.51 | 15.89 | 12.16 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 9.09 | 6.07 | 7.03 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 15.36 | 17.28 | 24.35 |
| 16 | झारखंड | 23.15 | 24.00 | 36.64 |
| 17 | कर्नाटक | 27.57 | 26.18 | **#** |
| 18 | केरल | 14.46 | 12.32 | 12.77 |
| 19 | लक्षद्वीप | 8.03 | 6.76 | 5.80 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 26.47 | 24.77 | 23.76 |
| 21 | महाराष्ट्र | 14.47 | 12.87 | 11.28 |
| 22 | मणिपुर | 13.81 | 14.38 | 21.05 |
| 23 | मेघालय | 24.75 | 20.52 | 28.07 |
| 24 | मिजोरम | 18.70 | 21.88 | 30.67 |
| 25 | नागालैंड | 35.11 | 18.23 | 31.28 |
| 26 | ओडिशा | 49.48 | 29.56 | 28.87 |
| 27 | पुडुचेरी | 14.24 | 12.19 | 12.65 |
| 28 | पंजाब | 8.83 | 8.86 | 8.60 |
| 29 | राजस्थान | 18.77 | 13.48 | 15.19 |
| 30 | सिक्किम | 12.89 | 15.89 | 24.15 |
| 31 | तमिल नाडू | 12.20 | 8.10 | 10.03 |
| 32 | तेलंगाना | 17.43 | 15.53 | 22.49 |
| 33 | त्रिपुरा | 25.09 | 28.42 | 29.76 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 7.30 | 10.22 | 12.71 |
| 35 | उत्तराखंड | 8.70 | 10.40 | 9.09 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 18.34 | 17.80 | 26.93 |

स्रोत:: यूडाइज-नवीन आंकड़ें

# राज्य द्वारा आंकड़ें प्रस्‍तुत नहीं किए गए हैं।

**\*\*\*\*\***